बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०— भवन / भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01 / 2026–**82** पटना, दिनांक—**03.06.2026**

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पटना से बाहर पदस्थापित अखिल भारतीय सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली–1986 (यथा संशोधित) के नियम–11(2)(4)(ङ) के तहत पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता है:–

क्र0	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	विभाग / कार्यालय	आवंटित आवास	आवंटन अवधि
1	2	3	4	5
1.	**श्री कान्तेश कुमार मिश्रा**, भा0पु0से0, वरीय पुलिस अधीक्षक	वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मुजफ्फरपुर	E2/303, गर्दनीबाग	पटना से बाहर पदस्थापन की तिथि (09.01.2026) से एक वर्ष (दिनांक–08.01.2027) तक
2.	**सुश्री अंजली शर्मा**, भा0प्र0से0, अनुमण्डल पदाधिकारी	अनुमण्डल कार्यालय, अरेराज	E3/103, गर्दनीबाग	पटना से बाहर पदस्थापन की तिथि (12.12.2025) से एक वर्ष (दिनांक–11.12.2026) तक
3.	**श्री गौरव कुमार**, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त	कार्यालय, उप विकास आयुक्त सहरसा	D8/703, गर्दनीबाग	आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष (दिनांक–02.06.2027 तक)

2. पूर्व में निर्गत सभी आवास आवंटन आदेश इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे।

3. संबंधित पदाधिकारी के अपने पदस्थापन जिला / अनुमंडल में सरकारी आवास का उपयोग करने अथवा नहीं करने का प्रभाव उक्त आवास आवंटन पर नहीं पड़ेगा।

4. आवंटी पदाधिकारी उपर्युक्त आवास मात्र एक वर्ष (आवंटित आवास रिक्त करने की तिथि से अथवा नव आवंटित आवास आवंटन की तिथि से, नियमानुसार जो लागू हो) की अवधि के लिए दखल में रख सकते हैं। उक्त आवंटन अवधि उपर्युक्त सारणी के स्तंभ–5 में अंकित है।

5. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

6. नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल (Mobile No.–9264293043) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

7. उपर्युक्त आवंटित आवास के विरूद्ध आवासी को पटना में अनुमान्य मासिक आवास किराया भत्ता (HRA के समतुल्य) तथा मानक किराया एवं मेंटेनेन्श चार्ज की राशि आवास अधिग्रहण की तिथि से ड्राफ्ट/ऑनलाईन/अन्य के माध्यम से Executive Engineer, Rent Division, BCD के Bank Account No-924020057053795, IFSC Code-UTIB0002619, Branch Name- Axis Bank Limited, Patliputra में प्रतिमाह 15 तारिख से पूर्व भुगतान करना होगा। आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त भुगतान की सूचना प्रति माह भू–सम्पदा पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना को उपलब्ध कराया जाए।

8. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा। उक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही पटना में अनुमान्य मासिक आवास किराया भत्ता (HRA के समतुल्य) भी जमा कराया जायेगा। इस प्रकार आवंटी द्वारा कंडिका–6 में वर्णित खाता में प्रतिमाह देय राशि निम्नवत होगी :–

क्र0	आवास का टाईप	पटना में अनुमान्य HRA की राशि	मानक किराया	मेंटेनेंश चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ई–टाईप, गर्दनीबाग	मूल वेतन का 20 प्रतिशत	₹1290	₹1720	पटना में अनुमान्य HRA (मूल वेतन का 20% राशि) + ₹3010
2.	डी–टाईप गर्दनीबाग	मूल वेतन का 20 प्रतिशत	₹936	₹1248	पटना में अनुमान्य HRA (मूल वेतन का 20% राशि) + ₹2184

9. लगातार तीन माह तक मासिक किराया भुगतान नहीं करने पर आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं बकाया किराया की राशि/दण्ड किराया जमा करने के उपरांत ही भविष्य में आवास आवंटित किया जायेगा तथा मांग रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

10. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः– भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01/2026–**4893(भ)** पटना, दिनांकः**–03.06.2026**

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/26

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।